

## 20013 - निषिद्ध वक्तों में नमाज़ की क़ज़ा करना

### प्रश्न

कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि : हमारे लिए अस्स की नमाज़ के तुरंत बाद नमाज़ की क़ज़ा करना संभव नहीं है। आप से अनुरोध है कि मेरी सहायता करते हुए, मेरे लिए इस कथन से संबंधित विस्तृत उत्तर उल्लेख करें।

### विस्तृत उत्तर

सर्व प्रथम : कुछ ऐसे औकात हैं जिनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नमाज़ पढ़ने से मना फरमाया है, और वे यह हैं :

1- सुबह की नमाज़ के बाद यहाँ तक कि सूरज उग आए और एक भाले के बराबर ऊँचा हो जाए, अर्थात लगभग पंद्रह मिनट का समय बीत जाए। अशर्हूल मुस्ते (4/162).

2- सूरज के आकाश के बीचों बीच होने के समय, यह ज़ुहर की नमाज़ के समय के प्रवेश करने से पहले एक संछिप्त समय है। जो लगभग एक चौथाई या एक तिहाई घंटा के बराबर होता है। फतावा शैख इब्ने बाज़ (11/286). जबकि कुछ विद्वान इस बात की ओर गए हैं कि यह इससे भी अधिक संछिप्त समय है। इब्ने कासिम रहिमहुल्लाह ने फरमाया : यह एक सूक्ष्म समय है जो किसी नमाज़ के लिए काफी नहीं होता है, परंतु उसमें तक्बीर तहरीमा पढ़ना संभव है। अंत हुआ।

हाशिया इब्ने कासिम अला अर्रौज़ अल-मुख्बे (2/245).

3- अस्स की नमाज़ के बाद से सूरज ढूबने तक।

इन औकात के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से बहुत सी हदीसें वर्णित हैं जो इनमें नमाज़ पढ़ने से रोकती हैं, उन्हीं हदीसों में से कुछ निम्नलिखित हैं :

1- बुखारी (हदीस संख्या: 586) और मुस्लिम (हदीस संख्या: 728) ने अबू सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि उन्होंने कहा : अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: “अस्स की नमाज़ के बाद कोई नमाज़ नहीं यहाँ तक कि सूरज ढूब जाए, और फज्ज की नमाज़ के बाद कोई नमाज़ नहीं यहाँ तक कि सूरज निकल आए।”

2- मुस्लिम (हदीस संख्या: 832) ने अग्र बिन अंबसा अस्सुलमी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि उन्होंने कहा : मैं ने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी ! अल्लाह ने आप को जो कुछ सिखाया है और मैं उससे अवगत नहीं हूँ उसके बारे में मुझे सूचना दीजिए, मुझे नमाज़ के बारे में बतलाइए। तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : “तुम सुबह - फज्ज - की नमाज़ पढ़ो, फिर नमाज़ से रुक जाओ यहाँ तक कि सूरज उगकर ऊँचा हो जाए . . . फिर तुम नमाज़ पढ़ो क्योंकि नमाज़ में फरिश्तों की उपस्थिति

और हाज़िरी होती है यहाँ तक कि नेज़े का साया समाप्त हो जाए (यानी ज़मीन पर उसका साया बाक़ी न रहे) - और यही सूरज के आसमान के बीचों बीच होने का समय है - फिर नमाज़ से रूक जाओ क्योंकि उस समय जहन्नम को भड़काया (दहकाया) जाता है, फिर जब साया आ जाए - और यह ज़ुहर की नमाज़ का प्राथमिक समय है - तो नमाज़ पढ़ो क्योंकि नमाज़ में फरिश्तों की उपस्थिति होती है यहाँ तक कि तुम अस्स की नमाज़ पढ़ लो, फिर नमाज़ से रूक जाओ यहाँ तक की सूरज ढूब जाए . . .''

दूसरा :

नमाज की क़ज़ा से अभिप्राय नमाज को उसका समय निकल जाने के बाद पढ़ना है, और क़ज़ा की जाने वाली नमाज या तो फर्ज़ होगी, या नफ्ल होगी।

जहाँ तक फर्ज़ नमाज की बात है : तो मुसलमान पर अनिवार्य है कि वह नमाज की उसके उस समय पर पाबंदी करे जिसे अल्लाह तआला ने उसके लिए निर्धारित किया है, अल्लाह सर्वशक्तिमान ने फरमाया है :

إِنَّ الصَّلَاةَ كَائِنَةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔

[النساء : 103]

''निःसंदेह नमाज ईमान वालों पर एक निर्धारित समय पर अनिवार्य है।'' (सूरत निसा : 103)

अर्थात उसका एक निर्धारित समय है।

नमाज को अकारण विलंब करना यहाँ तक कि उसका समय निकल जाए, हराम है। और वह बड़े गुनाहों में से है।

यदि मुसलमान के सामने कोई उज्ज़ हो, जैसे नींद या भूलचूक का होना, और वह नमाज को उसके समय पर न पढ़ सके, तो उसके ऊपर अनिवार्य है कि वह उस कारण के समाप्त होते ही नमाज की क़ज़ा करे, चाहे वह निषिद्ध औक़ात में से ही कोई वक़त क्यों न हो। यही जम्हूर विद्वानों का कथन है। देखिए : अल-मुऱानी (2/515).

इसका प्रमाण नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह फरमान है :

''जो व्यक्ति किसी नमाज से सो जाए या उसे भूल जाए तो उसे चाहिए कि उसको याद करते ही उसे पढ़ ले।'' इसे बुखारी (हदीस संख्या : 597) और मुस्लिम (हदीस संख्या : 684) ने रिवायत किया है।

जहाँ तक नफ्ल नमाजों का संबंध है तो: निषिद्ध वक़तों में उसकी क़ज़ा के बारे में विद्वानों के बीच मतभेद है, और सही बात यह है कि उसे क़ज़ा किया जायेगा, यही इमाम शाफ़ी रहिमहुल्लाह का मत है। देखिए: अल-मज़मूअ (4/170). तथा शैखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह ने इसे चयन किया है जैसाकि फतावा (23/127) में है। और इस बात पर कई हदीसें तर्क स्थापित करती हैं :

उन्हीं में से वह हदीस है जिसे बुखारी (हदीस संख्या : 1233) और मुस्लिम (हदीस संख्या : 834) ने उम्मे सलमह रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अस के बाद दो रक्खतें पढ़ीं, तो मैं ने आप से उनके बारे में पूछा : तो आप ने फरमाया : ''मेरे पास अब्दुल कैस के कुछ लोग आये थे, तो उन्होंने मुझे ज़ुहर के बाद की दोनों रक्खतें से व्यस्त कर दिया था तो ये वही दोनों रक्खतें हैं।''

उन्हीं में से : वह हदीस भी है जिसे इब्ने माजा (हदीस संख्या : 1154) ने कैस बिन अम्र से रिवायत किया है कि उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक आदमी को फज्ज की नमाज़ के बाद दो रक्खतें पढ़ते हुए देखा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : ''क्या सुबह की नामाज़ दो बार पढ़ रहे हो ?'' तो उस आदमी ने आपसे कहा : मैं ने फज्ज से पहले की दोनों रक्खतें नहीं पढ़ी थी, तो मैं ने उन्हें (अब) पढ़ी है। वह कहते हैं कि तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इस पर खामोश रहे।'' इसे अल्बानी ने सहीह इब्ने माजा (हदीस संख्या : 948) में सही कहा है। इब्ने कुदामा ने फरमाया : ''नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का खामोश रहना इसके जायज़ होने को इंगित करता है।'' अंत हुआ। अल-मुग़नी (2/532).

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है, तथा अल्ल तआला हमारे ईश्दूत मुहम्मद पर दया व शांति अवतरित करे।

इस्लाम प्रश्न और उत्तर